Rs. 25,000 each to seriously injured persons and Rs. 3000 each to other injured persons has been announced.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के निर्गम मूल्य में संशोधन

*430. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों को सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के निर्गम मूल्य में संशोधन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्यों में वृद्धि करने के पश्चात् राज सहायता में कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि राजसहायता में वृद्धि के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु उपलब्ध कराए जा रहे चावल, गेहूं, लेवी चीनी और आयातित खाद्य तेल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वर्ष 1991–92 के दौरान वृद्धि की गई थी। मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी की गई थी।

भारत सरकार द्वारा राजसहायता इस कार्य के प्रचालन की कुल लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जिन पर वे राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जाते हैं, के बीच अन्तर होने के कारण दी जाती है। आम तौर पर निर्गम मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव के कारण अधिप्राप्ति मूल्यों में हुई वृद्धि आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से निष्प्रभावी हो जाती है जिससे राजसहायता के स्तर में कमी आती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हालांकि इस प्रणाली में, बड़े पैमाने पर विविध कार्यकलापों के शामिल होने के कारण कई बार स्थानीय कमी हो सकती है, तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आम तौर पर एक समान मूल्यों पर मूलभूत आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध तथा सुलभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है ?। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने अधिकारियों के जरिए वस्तुओं की आपूर्ति और उपलभ्यता की नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है। इसके अलावा, अधिकतर राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्तरों पर सतर्कता सलाहकार समितियां गठित करने की सूचना दी है।

Posting of Air programme officers

*431. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there are a number of A.I.R. Programme Officers like Programme Executives, Assistant Station Directors and Station Directors, who are in Delhi exceeding thei normal period of posting of four years at one station;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the reasons for their overstay in Delhi; and

(d) whether the normal rule would be applied to them, as is done in case of AIR officers posted at stations other than Delhi?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) The details of Programme Executives, Assistant Station Directors and Station Directors who have completed four years of their posting at Delhi are as under:—

Station Directors	— 14
Assistant Station Directors	— 1